षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-18.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, स०वि०स० श्री मुद्रिका प्रसाद राय, स०वि०स० श्री शिवचन्द्र राम, स०वि०स० श्री सीताराम यादव, स०वि०स० श्री लाल बाबू राम, स०वि०स० श्री रामविचार राय, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री नन्द कुमार राय, स०वि०स० श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, स०वि०स०	राज्य में लाखों किसानों को बिहार राज्य फसल सहायता योजना से वंचित कर दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन में कहा गया था कि 20 प्रतिशत तक क्षति होने पर 7500 रूपये हेक्टेयर एवं 20 प्रतिशत से अधिक होने पर 10 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जायेगा । राज्य भर के किसान ऑनलाईन आवेदन भी किये । अब क्रौप कटिंग के आधार पर सहायता देने की बात हो रही है जिसकी कोई सूचना किसान को नहीं दी गई है । अतएव किसानों को राज्य फसल सहायता योजना का लाभ दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	सहकारिता

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री मनीष कुमार, स०वि०स० श्री रत्नेश सादा, स०वि०स० श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री रणधीर कुमार सोनी, स०वि०स० श्री सुबोध राय, स०वि०स० श्री जनार्दन मांझी, स०वि०स० श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, स०वि०स० श्री मेवालाल चौधरी, स०वि०स०	प्रत्येक वर्ष सावन माह में करोड़ों श्रद्धालु एवं भक्त सुलतानगंज से पवित्र गंगाजल के साथ देवघर तक की पैदल यात्रा कर बाबा भोले नाथ को जल अर्पित करते हैं । सावन माह के अलावे पूरे वर्ष भी श्रद्धालुओं एवं भक्तों की यात्रा कांवड़िया मार्ग पर होती रहती है । सुलतानगंज से दूम्मा तक यह मार्ग बिहार राज्य के अन्तर्गत है लेकिन असरगंज से दूम्मा तक इस रास्ते की स्थिति काफी खराब होने के कारण सरकार द्वारा प्रतिवर्ष इस पथांश पर एक बड़ी राशि व्यय कर लाल बालू डालकर मार्ग को सहज बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष डाला गया यह लाल बालू वर्षा के पानी में बहकर खेतों में चला जाता है जिससे खर्च की गयी राशि अगले वर्ष तक उपयोग के लायक नहीं रहती है । अत: इस पथांश पर गार्डबाल बनाते हुए इस पर गंगा बालू डालकर श्रद्धालुओं के लिये पथ को सरल एवं सुगम बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	पथ निर्माण
3.	श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स० श्री भोला यादव, स०वि०स० श्री अखतरूल इस्लाम शाहीन, स०वि०स० श्री विजय प्रकाश, स०वि०स० श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, स०वि०स० श्री मो० नवाज आलम, स०वि०स०	वर्तमान आरक्षण नियमों के अनुसार सरकारी नौकरियों एवं उच्च शिक्षा में सीटों के आवंटन में कुल सीट का 01% अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जाति 16%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 18%, पिछड़ा वर्ग 12%, आरक्षित वर्ग की महिला 03% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है । लेकिन विभागों द्वारा कुल उपलब्ध सीटों में से सर्वप्रथम 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए घटाकर शेष सीटों का 50% (अर्थात् 90 का 50%) ही आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जिससे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी 05% सीटों से वंचित हो जा रहे हैं । उदाहरणस्वरूप बिहार के मेडिकल, डेंटल, भेटनरी कॉलेजों में नामांकन हेतु चल रहे काउन्सिलिंग में उपलब्ध कुल 1024 सीटों में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 100, सामान्य कोटि को 461 (कुल 561 सीट) जबकि सभी आरक्षित श्रेणी को कुल मिलाकर 463 सीटों पर ही नामांकन किया जा रहा है, जिससे आरक्षित श्रेणी को अनेकों सीटों से वंचित किया जा रहा है । अत: मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध कुल सीटों में से नियमानुसार आरक्षिण श्रेणी (SC, ST, MBC, BC, BCW) को 50% सीट तथा आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ देने हेतु वर्तमान के काउंसिलिंग को रोककर नियमानुकूल सीटों का आवंटन करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	स्वास्थ्य

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/19- 865 / वि०स०, पटना, दिनांक-17 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सहकारिता विभाग / पथ निर्माण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/7/19

(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/19- 865 / वि०स०, पटना, दिनांक-17 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

17/7/19

(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।